न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 64/2022(GCMS 2022/221)
(आरटीआई संख्या 212402972765372)

श्री मोहनलाल पुत्र धन्नाराम निवासी वार्ड नं 07, रजियासर स्टेशन, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

23.04.2025

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मोहनलाल स्वयं उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2022 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मोहन लाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.08.2022 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1 मदन सिंह पुत्र श्री अनेक सिंह के नाम रोही श्योनाथपुरा के ख.नं. 96 में 50 बीघा भूमि की खातेदारी जारी की गई है। उक्त खातेदारी सनद का इन्तकाल सं. 72 श्योनाथपुरा में दर्ज है। नकल चित्रप्रति संलग्न।

2. आारफ पुत्र नूरे खां के नाम रोही कुम्भगढ के ख.नं. 19 में 25 बीघा भूमि की खातेदारी जारी की गई। उक्त खातेदारी अधिकार की इन्तकाल 75 कुम्भगढ में दर्ज है। नकल चित्र प्रतिलिपि संलग्न है।

3. अली खाँ पुत्र श्री [illegible] के नाम रोही कुम्भगढ के ख.नं. 19 में 30 बीघा भूमि की खातेदारी जारी की गई। उक्त इन्तकाल खातेदारी अधिकारी संख्या 67 कुम्भगढ़ में दर्ज है। नकल चित्र प्रतिलिपि संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक सीजी / वाचक / 22 / 1348 दिनांक 27.09.2022 एवं स्मरण पत्र 402 / 24.04.2024, 851 / 18.06.2024, 1150 / 05.08.2024 1655 / 20.11.2024, 374 / 05.03.2025 एवं 805 / 27.03.2025 एवं नायब तहसीलदार, रजियासर को इस कार्यालय के पत्रांक 373 दिनांक 05.03.2025 एवं 804 दिनांक 27.03.2025 से लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब / टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है, उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।**
>
> **परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।**

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ एवं नायब तहसीलदार, राजियासर **द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है।** उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा ... जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नही? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ एवं नायब** तहसीलदार, **रजियासर को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की** तहसीलदार **(राजस्व), सूरतगढ़ एवं नायब तहसीलदार, रजियासर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर

श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:52:18 IST
Reason: SelfAttested